अधिसूचना सं0 20/2014-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क   नई दिल्ली, तारीख 11 जुलाई, 2014

सा.का.नि.   (अ.) केंद्रीय सरकार, केद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2010 (2010 का 14) की धारा 83 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 3/2010-स्वच्छ ऊर्जा उपकर, तारीख 22 जून, 2010 को, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में, सं0 सा.का.नि. 545 (अ), तारीख 22 जून, 2010 द्वारा प्रकाशित की गई थी, उन बातों के सिवाय विखंडित करती है जो ऐसे विखंडन से पूर्व की गई हैं या जिनका करने से लोप किया गया है ।

[फा.सं. 334/15/2014-टीआरयू]

(अक्षय जोशी)
अवर सचिव, भारत सरकार